(5)

# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

**अपील संख्याः 07/2021 एल.आर.एक्ट**
**GCMS No. 2021/15**

1. शिवरतन पुत्र जवाहर राम जाति सुथार साकिन उदासर तहसील बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण तथाकथित दत्तक पुत्र प्रहलाद राम जाति सुथार साकिन गोपेश्वर मंदिर के पीछे, बीकानेर।
2. अखाराम पुत्र रामदेव जाति सुथार, साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
3. हरिप्रसाद पुत्र रामदेव जाति सुथार, साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
4. सीताराम पुत्र रामदेव जाति सुथार, साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
5. माणकचन्द्र पुत्र रामदेव जाति सुथार, साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
6. श्रवण पुत्र पुत्र जेठाराम जाति सुथार, साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
7. विष्णु पुत्र जेठाराम जाति सुथार, साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
8. कंचन पुत्री जेठाराम जाति सुथार, साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
9. अनुपूर्णा पुत्री जेठाराम जाति सुथार, साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
10. रेखा पुत्री जेठाराम जाति सुथार, साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
11. निरजु पुत्री जेठाराम जाति सुथार, साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
12. दीपा पुत्री जेठाराम जाति सुथार, साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
13. भगवती बैवा चतुभूर्ज पुत्र रामदेव जाति सुथार साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
14. जयप्रकाश पुत्र चतुभूर्ज पुत्र रामदेव जाति सुथार साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
15. मनोज पुत्र चतुभूर्ज पुत्र रामदेव जाति सुथार साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
16. ममता पूत्री चतुभूर्ज पुत्र रामदेव जाति सुथार साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
17. नारायणराम पुत्र रामदेव जाति सुथार साकिन उदासर तहसील बीकानेर।
18. राजस्थान सरकार।

— रेस्पोन्डेंट्स

**उपस्थितः** श्री संतनाथ योगी
श्री नारायण छींपा — अभिभाषक अपीलांट
श्री अनिल कुमार बिश्नोई — अभिभाषक रेस्पो. नं. 1
श्री किशनलाल भादू — अभिभाषक रेस्पो. नं. 2 ता 5 एवं 13 ता 16

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(6)

# निर्णय

दिनांक 05.04.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार बीकानेर के इंतकाल संख्या 134 दिनांक 25.08.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 7 बी.एस.एम. का खाता संख्या 17 पुराना 18 के मुरब्बा नंबर 177/41 का किला नं. 6, 7, 13, 14 ता 17 व 25 कुल 8 बीघा व मुरब्बा नंबर 177/49 का किला नंबर 11, 17 ता 24 कुल 9 बीघा व मुरब्बा नंबर 177/50 का किला नंबर 1 ता 4 व 9 कुल 5 बीघा, इस प्रकार कुल भूमि 22 बीघा कमाण्ड भूमि फुसी देवी पत्नी प्रहलाद की खातेदारी भूमि थी। फुसीदेवी पत्नी प्रहलाद ने उक्त भूमि वसीयत दिनांक 09.12.1996 को अपीलांट व रेस्पोनेन्ट संख्या 2 ता 17 के हक में कर दी थी। उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दिनांक 07.12.2004 को दर्ज हुई। फुसी देवी का देहान्त दिनांक 08.05.2006 को हो गया था। वादग्रस्त भूमि के वसीयत अपीलांट एवं रेस्पा. नं. 2 ता 17 के पक्ष में होने के बावजूद तहसीलदार बीकानेर ने उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 134 दिनांक 25.08.2020 द्वारा लक्ष्मीनारायण दत्तक पुत्र प्रहलाद जाति सुथार के पक्ष में गोदनामें के आधार पर नामांतरकरण दर्ज कर दिया। उक्त नामांतरकरण संख्या 134 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनीं। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं बहस 96 सीपीसी प्रार्थना–पत्र पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री संतनाथ योगी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि फुसी देवी की खातेदारी भूमि थी। फुसीदेवी पत्नी प्रहलाद ने उक्त भूमि वसीयत दिनांक 09.12.1996 को अपीलांट व

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(7)

रेस्पोनेन्ट संख्या 2 ता 17 के हक में कर दी थी। उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दिनांक 07.12.2004 को दर्ज हुई। फुसी देवी का देहान्त दिनांक 08.05.2006 को हो गया था। वादग्रस्त भूमि के वसीयत अपीलांट एवं रेस्पा. नं. 2 ता 17 के पक्ष में होने के बावजूद तहसीलदार बीकानेर ने उक्त भूमि का नामांतरकरण लक्ष्मीनारायण दत्तक पुत्र प्रहलाद जाति सुथार के पक्ष में गोदनामें के आधार पर नामांतरकरण दर्ज कर दिया। मौका रिपोर्ट लिये बिना ही तथा गोदनामें की वैद होने की जांच किए बिना ही तहसीलदार बीकानेर ने नामान्तरण दर्ज कर दिया। मौके पर कब्जा काश्त अपीलांट का है। मौके पर ढाणी बनी हुई है। वसीयत खातेदारी व खुद की भूमि की, की गई थी। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 17 को जिनके पक्ष में वसीयत है उन्हे सुने बिना ही व नोटिस दिये बिना, उक्त नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर के नामांतरकरण संख्या 134 दिनांक 25.08.2020 को निरस्त फरमावें व अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 17 के पक्ष में खातेदारी वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री अनिल कुमार बिश्नोई ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया। अपीलार्थी को उक्त अपील पेश करने की Locus standi ही नहीं है क्योकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतानुसार इंतकाल दर्ज करने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार बीकानेर ने खारिज कर दिया था। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वसीयत किये जाने के समय गैर खातेदार भूमि थी। राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 39 में स्पष्ट प्रावधान है कि वसीयत करने का अधिकार केवल खातेदार कृषक को है गैर खातेदार कृषक को नहीं। इस कारण से गैर खातेदारी कृषि भूमि की वसीयत शुरू से ही शुन्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मीनारायण का गोदनामा रजिस्टर्ड है तथा वसीयत से पूर्व दिनांक 25.04.1996 का है। उक्त वादग्रस्त भूमि फूसी देवी की पैतृक भूमि थी और पैतृक कृषि भूमि की वसीयत कानूनन नहीं की जा सकती है। मौके पर कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मीनारायण का ही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर के नामांतरकरण संख्या 134 दिनांक 25.08.2020 को यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(8)

5– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर का अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 134 दिनांक 25..08.2020 उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट निरस्त करते हुए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर के अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 134 दिनांक 25.08.2020 को यथावत रखा जाता है।

6– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर